भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3256
21 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

रोगों से मछलियों / समुद्री उत्पादों के नष्ट होने के कारण नुकसान

3256. श्री बिद्‌युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तीन राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम यथा भारतीय श्वेत झींगा (पेनियस इंडिकस) आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम, मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, जलीय कृषि बीमा उत्पाद का शुभारंभ शुरू किया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और फार्म झींगा के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या बीमारियों के फैलने के कारण मछलियों/समुद्री उत्पादों के नष्ट होने के परिणामस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष लगभग 7200 करोड़ रुपये का नुकसान होता है;
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रोगों का शीघ्र पता लगाने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) जलीय कृषि पर निर्भर किसानों की आय को और अधिक तेजी से दोगुना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है (i) 3 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के लिए 33.8 करोड़ रुपये की

कुल लागत के साथ जलीय जीव रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) चरण- II और (ii) पीएमएमएसवाई के तहत 25.044 करोड़ रु/- की कुल लागत के साथ *पेनेयस इंडिकस* (भारतीय श्वेत झींगा) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम चरण-I ; ये दो कार्यक्रम निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ 27 फरवरी, 2023 को शुरू किए गए थे:

क. जलीय जीव रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) चरण- II

(i) जलीय जीव रोगों की उत्पत्ति और उनके फैलाव पर जानकारी को प्राप्त करने में सुधार करना
(ii) जलीय जीवों में नए और विशिष्ट संक्रामक रोगों का तेजी से पता लगाना

(iii) राष्ट्र के लिए चिंताजनक जलीय जीव रोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली को लागू करना
(iv) तटीय जिलों में प्रभावी एक्टिव और पेस्सिव रोग निगरानी कार्यक्रम चलाना
(v) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) और क्षेत्रीय त्रैमासिक जलीय जीव रोग को आवश्यक रिपोर्टिंग करने के लिए निगरानी कार्यक्रम के परिणाम के आधार पर एक डिसीज डेटाबेस विकसित करना ।
(vi) रोग और निगरानी कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना

ख. *पेनिअस इंडिकस* (भारतीय श्वेत झींगा) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम चरण- ।

(i) आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम (जीआईपी) के लिए पायलट पैमाने पर श्रृम्प ब्रीडिंग और डोमेस्टीकेशन की सुविधा स्थापित करना
(ii) भारतीय श्वेत झींगा के विभिन्न जीवन चरणों के लिए कैप्टिव परिपक्वता, प्रजनन, बीज उत्पादन और स्वदेशी चारा प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करना ।
(iii) इनपुट संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ पर्यावरण के अनुकूल स्थायी फार्मिंग पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय श्वेत झींगा के विभिन्न खेती के मॉडल को परिष्कृत और इष्टतम बनाना ।
(iv) आनुवंशिक विविधता के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद एक आधारभूत संख्या स्थापित करने के लिए, आनुवंशिक रूप से उन्नत स्टॉक के लिए उपयुक्त लक्षणों और आनुवंशिक लाभ का आकलन करते हुए अल्पावधि चयन कार्यक्रम ।
आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर, चेन्नई ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से झींगा किसानों के लिए एक बीमा उत्पाद भी पेश किया है ।
(ग): भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और फार्म्ड झींगा के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। 2021-22 में झींगा सहित मात्स्यिकी से निर्यात आय 57,586.48 करोड़ रुपये दर्ज की गई है।
(घ) और (ङ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बताया कि 2020-21 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार, बीमारियों सहित विभिन्न कारकों के कारण झींगा खेती में उत्पादन का नुकसान 7200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए, पीएमएमएसवाई के तहत भारत सरकार पूरे देश में जलीय जीव रोग (एनएसपीएएडी) पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चरण- ॥ लागू कर रही है। सावधानियों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए मानक प्रोटोकॉल पहले से ही मौजूद हैं और इसे समय-समय पर झींगा किसानों को प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, आईसीएआर के मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों द्वारा रोग प्रतिरोधकता में सुधार के लिए बेहतर निदान, टीके और चिकित्सा विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जाता है।
(च): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछली उत्पादकता में सुधार और बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है ताकि जलीय किसानों की आय में वृद्धि हो सके। वर्तमान में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 20,050 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, विगत दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान, 4536.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ पैंतीस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्ताव 12035.07 करोड़ रुपये की लागत पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और 2103.42 करोड़ रु/- की केंद्रीय निधि विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई है। गतिविधियों में फिश कल्टीवेशन के क्षेत्र का विस्तार, प्रौद्योगिकी का समावेश और कोल्ड चेन, बाजार और परिवहन सुविधाओं जैसे पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है।

****